

प्रभावित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) के भुगतान किये जाने सम्बन्धी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मन्त्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र संख्या—एफ०एन० 5—३/२००७ (एफ०सी०, डिवीजन) दिनांक—०५—०२—२००९ द्वारा ३० वर्षों के लिए वन भूमि के हस्तान्तरण / गैर वानिकी प्रयोग हेतु निर्धारित नेट प्रजेन्ट वैल्यू (एन०पी०वी०) और बढ़ी दरों के अनुसार धनराशि को ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, फिरोजाबाद द्वारा क्षतिपूर्ति वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (CAMPA) वन विभाग उत्तर प्रदेश को ई-पोर्टल से उत्पन्न ई-चालान द्वारा भुगतान कर दिया जायेगा।

Arvind Kumar

eo 63/8/21

(प्राधिकृत हस्ताक्षकर्ता)

अवर अभियन्ता
ग्रामीण अभियंत्रण विभाग
ग्रामीण अभियंत्रण विभाग
फिरोजाबाद
प्रखण्ड.